

पांचवीं अनुसूची  
(धारा 139 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख	
(1)	(2)	(3)	
सा.का.नि. 62(अ), तारीख 6 फरवरी, 2010 [1/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 फरवरी, 2010]	उक्त अधिसूचना के पैरा 9 में “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—	6 फरवरी, 2010	5
	“यथास्थिति, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या पैरा 8 के खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से”।		10